न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(कल्पना अग्रवाल,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 103 / 2015
प्रविष्टि दिनांक 04.09.2015

1–नाथूलाल पुत्र बिरधा जाति माली निवासी गड्डा पहाडिया टोंक तहसील व जिला टोंक राज.
2–श्रीमति अनोख देवी पत्नि सीताराम जाति माली निवासी पांच बत्ती टोंक हाल निवासी रेडीवास मामू भान्जे की मजिस्द के पास टोंक तहसील व जिला टोंक राज.

–अपीलान्ट्स

बनाम

1–सरकार जरिये पटवारी हल्का शर्की टोंक
2–तहसीलदार टोंक जिला टोंक

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय तहसीलदार टोंक दिनांक 07.08.2015 अन्तर्गत धारा 90(ए) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम नाथू आदि

उपस्थिति : (1) श्री रामधन सैनी,अभिभाषक अपीलांट्स
(2) श्री मजहर आलम, राजकीय अभिभाषक रेस्पो.

निर्णय दिनांक 06.01.2026

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार टोंक द्वारा दिनांक 07.08.2015 को अपीलाण्ट्स को आराजी खसरा नंबर 5486 रकबा 0.07 बीधा मे से 20 X 30 फुट (पुख्ता निर्माण कर लिया है) वाके ग्राम कस्बा शर्की पर अपीलाण्ट्स द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि पर पुख्ता निर्माण करने पर राज0 भू–राजस्व अधिनियम की धारा 90(ए) के तहत बेदखल करने का तथा लगान के 50 गुणा राशि शास्ति के रूप मे दण्डित करने का आदेश पारित किया गया है। अपीलाण्ट्स ने तहसीलदार टोंक के उक्त आदेश को विधि विधान एंव तथ्यो को प्रतिकूल बताते हुए निरस्त करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिये सम्मन की गई। अपीलाधीन आदेश की पत्रावली तलब की गयी। प्रकरण में बहस अभिभाषकगण सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट्स काश्तकार पेशा गरीब व्यक्ति है। अपीलान्ट नाथूलाल की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 5486 रकबा 7 बिरवा करवा शर्की टोंक में स्थित है, जिसमें से 350 वर्गगज भूमि अपीलान्ट नं01 ने अपीलान्ट नं0 2 को जरिये इकरारनामा

जिला कलेक्टर
टोंक

विक्रय कर दी है, जिसमें अपीलान्ट नं0 2 ने कृषि उद्देश्य हेतु मात्र दो कमरे 15 X 13 फीट के बना रखे है, जिनमें अपीलान्ट्स अपनी कृषि उपज कृषि पैदावार एवं कृषि यन्त्र तथा जानवरों के लिए चारा आदि रखते है। अपीलान्ट न0 2 काश्तकार पेशा, अनपढ, गरीब एंव बी पी एल कार्डधारी महिला है,इस कारण उसने कृषि प्रयोजनार्थ मात्र दो कमरों का निर्माण करवाया है, जो कि काश्तकारी के लिए अनिवार्य है,इसके अभाव में अपीलान्ट्स अपनी कृषि उपज, कृषि पैदावार, कृषियन्त्र एवं जानवरों के चारा आदि किसी भी सुरक्षित स्थान पर नहीं रख सकेगें तथा यदि अपीलान्ट को बेदखल कर दिया गया तो अपीलांट को काफी आर्थिक क्षति कारित होगी। विधि अनुसार भी काश्तकार व्यक्ति अपनी स्वंय की सम्पूर्ण कृषि आराजियात में से कुछ हिस्सा भूमि में से सुचारू रूप से कृषि कार्य करने हेतु कमरों का निर्माण करवा सकता है तथा कृषि प्रयोजनार्थ, कृषि उपज, पैदावार, कृषि यन्त्र तथा चारा आदि उनमें रख सकते है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। अपीलान्ट नं0 2 श्रीमति अनोख देवी ने सिविल न्यायाधीश टोंक में राजस्थान सरकार के विरूद्ध दावा स्थायी निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा भी प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें सिविल न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का दिनाक 01.07.2015 को निर्णय करते हुए मूल दावे के निर्णय तक न्यायालय सिविल न्यायाधीश टोंक ने राज. सरकार को पावन्द भी कर रखा है कि वह अपीलान्टस को बेदखल नहीं करे, उसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट सं02 जो कि गरीब अनपढ एवं बी पी एल श्रेणी की काश्तकार पेशा महिला है। इस कारण अपीलान्ट संख्या 2 वैधानिक रूप से भी उक्त भूमि का संपरिवर्तन कराने की कार्यवाही भी कर रही है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

राजकीय अभिभाषक ने जवाबी बहस मे कथन किया कि उक्त भूमि अपीलांट्स की खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलाण्ट्स का पुख्ता निर्माण होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट्स को बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि का कृषि से अकृषि उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि को आवासीय मकान के निर्माण के काम मे लिया गया है। अतः अपील अपीलाण्ट्स खारिज योग्य है।

हमने अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलाधीन आदेश की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वंत 2066–69 वाके ग्राम करवा शर्की तहसील टोंक मे आराजी खसरा 5492 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा भूमि संयुक्त रूप से अपीलांट संख्या–1 की खातेदारी मे दर्ज है,जिसमें से 350 वर्गगज भूमि अपीलान्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट संख्या–2 को जरिये इकरारनामा विक्रय कर दी है। अपीलाण्ट संख्या–2 द्वारा उक्त भूमि पर कृषि से अकृषि उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि को आवासीय मकान के निर्माण के काम मे लिये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त भूमि पर से बेदखल कर शास्ति कायम किये जाने का आदेश पारित किया है।

अभिभाषक अपीलांट का तर्क है कि अपीलान्ट्स काश्तकार पेशा गरीब व्यक्ति है। विधि अनुसार भी काश्तकार व्यक्ति अपनी स्वंय की सम्पूर्ण कृषि आराजियात में से कुछ हिस्सा भूमि में से सुचारू रूप से कृषि कार्य करने हेतु कमरों का निर्माण करवा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया

जिला कलेक्टर
टोंक

है। अपीलान्ट संख्या 2 वैधानिक रूप से भी उक्त भूमि का संपरिवर्तन कराने की कार्यवाही भी कर रही है,परन्तु अपीलाण्ट संख्या–2 द्वारा उक्त भूमि पर कृषि से अकृषि उपयोग बिना संपरिवर्तन कराये कृषि भूमि को आवासीय मकान के निर्माण के काम मे लिया जा रहा है। अपीलांट संख्या–2 को नियमानुसार उक्त भूमि को संपरिवर्तन मे करवाना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 23.07.2015 का अवलोकन करने से विदित होता है कि अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब हेतु समय चाहा है और दिनांक 07.08.2015 को अपना जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट्स द्वारा आज दिनांक तक भी उक्त भूमि का संपरिवर्तन आदेश प्रस्तुत नही किया गया है। अपीलांट्स द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बिना संपरिवर्तन आदेश करवाये ही पुख्ता निर्माण कार्य कर दो कमरो का निर्माण कार्य किया गया है जो पटवारी हल्का करवा शर्की व भू–अभिलेख निरीक्षक टोंक की धारा 90 (ए) की रिपोर्ट से सिद्व है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर तहसीलदार टोंक का निर्णय दिनांक 07.08.2015 यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
जिला कलेक्टर टोंक